

**ई- नीलामी विक्रय सूचना**

डीआरसी सं. 98/2012  
सिडबी

प्रार्थी/ सी.एच.

प्रदीप कुमार सिंह एवं अन्य

बनाम

प्रतिवादी/जे.डी.

यह सूचना-प्रकाशन 19/12/2015 को की गई विक्रय संबंधी घोषणा के अलावा है। मेरे आदेश के अनुसार नीचे उल्लिखित संपत्ति **सिडबी बनाम प्रदीप कुमार सिंह एवं अन्य** के वाद के संबंध में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार देय राशियों की वसुली के लिए वसुली अधिकारी के आदेश के तहत, 01/02/2016 को लॉट सं 1, 2, 3 व 4 को सार्वजनिक ई-नीलामी के जरिए बेची जाएगी।

नीलामी-बिक्री <https://drt.auctiontiger.net> वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के जरिए की जाएगी।

नीलामी की तारीख व समय: लॉट सं 1, 2, 3 व 4 के लिए 01/02/2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य (आवश्यकता होने पर क्रमशः हर लॉट के लिए 5 मिनट के विस्तार सहित)

**संपत्ति का विवरण**

वाद सं. स्वत्व एवं देय राशि	बेची जानेवाली संपत्ति का विवरण, सह-स्वामी प्रतिवादिनों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि
<b>डीआरसी सं. 98/2012/LKO</b> दिनांक 29/10/2015 को बकाया रु 1,05,68,347/- (रुपए एक करोड़ पाँच लाख अड़सठ हजार तीन सौ सैंतालिस मात्र ) है + दिनांक 30.10.2015 से प्रभावी ब्याज व अन्य प्रभार सहित	<b>संपत्ति सं 1 (लॉट सं 1)</b> ग्राम पालपुर तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर, जिला-सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 320 वर्गफीट है तथा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है- उत्तर: गली एवं जिबोध का घर दक्षिण: टीन शेड व रायबरेली फैजाबाद रोड पूर्व: कृष्णा कुमारी का घर पश्चिम: प्रदीप कुमार सिंह का घर तथा भूमि व उस प्लांट व मशीनरी में अनुपातिक हित, जो जमीन से जुड़ी है अथवा जमीन से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी है, जो श्री प्रदीप कुमार सिंह के स्वामित्व में है (निर्णीत देनदार सं. 1) <b>संपत्ति सं 2 (लॉट सं 2)</b> ग्राम पालपुर तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर, जिला-सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 320 वर्गफीट है तथा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है- उत्तर: गली एवं जिबोध का घर दक्षिण: रायबरेली फैजाबाद रोड पूर्व: कृष्णा कुमारी का घर पश्चिम: कैलाशा देवी का घर तथा भूमि व उस प्लांट व मशीनरी में अनुपातिक हित, जो जमीन से जुड़ी है अथवा जमीन से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी है, जो श्री प्रदीप कुमार सिंह के स्वामित्व में है (निर्णीत देनदार सं. 1) <b>संपत्ति सं 3 (लॉट सं 3) लीजहोल्ड संपत्ति</b> ग्राम कमरौली तहसील मुसाफिरखाना, जिला-सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) में जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित प्लांट सं सी-11 का समस्त भूखंड लीजहोल्ड संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 1378 वर्गमीटर है तथा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है- उत्तर: 18 मीटर चौड़ी रोड दक्षिण: प्लांट सं सी-12 पूर्व: प्लांट सं सी-10 पश्चिम: 18 मीटर चौड़ी रोड तथा भूमि व उस प्लांट व मशीनरी में अनुपातिक हित, जो जमीन से जुड़ी है अथवा जमीन से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी है, जो श्री प्रदीप कुमार सिंह के स्वामित्व में है (निर्णीत देनदार सं.2) <b>संपत्ति सं 4 (लॉट सं 4)</b> ग्राम तौरी तहसील मुसाफिरखाना जिला-सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) में पुरानी आबादी गाटा सं 1772 पर स्थित भवन सं 584-ख व समस्त भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 10000 वर्गफीट है तथा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है- उत्तर: श्री दल बहादुर सिंह का घर दक्षिण: खाली जमीन के बाद छेदी का घर पूर्व: नाला पश्चिम: छोटू का घर तथा भूमि व उस प्लांट व मशीनरी में अनुपातिक हित, जो जमीन से जुड़ी है अथवा जमीन से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी है, जो श्री प्रदीप कुमार सिंह के स्वामित्व में है (निर्णीत देनदार सं. 1)	₹.5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र)	₹. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
		₹ 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र)	₹. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
		₹.41,00,000/- (रुपये इकतालीस लाख मात्र)	₹. 4,10,000/- (रुपये चार लाख दस हजार मात्र)
		₹.34,00,000/- (रुपये चौतीस लाख मात्र)	₹. 3,40,000/- (रुपये तीन लाख चालीस हजार मात्र)

उक्त संपत्तियों का विक्रय **जैसा है जहाँ है और जो कुछ वहाँ है** आधार पर किया जा रहा है और यह बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय कर्जों की वसुली अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) की धारा 25 व 29 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची में विहित शर्तों तथा सरकारी प्रभारों, राजस्व एवं नियमानुसार अन्य ऋण-भारों के अधीन है। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उक्त अचल संपत्ति का भौतिक निरीक्षण कर लें। इच्छुक पार्टियों साइट पर उक्त संपत्ति का निरीक्षण सीएच बैंक की शाखा यानी **सिडबी, लखनऊ शाखा कार्यालय, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ के अधिकारी श्री हिमांशु राजेन्द्र अस्थाना, उप महाप्रबंधक, मोबाइल सं. 09919001861, टेलीफोन नं. 0522-2286202, ई-मेल: himanshu@sibdi.in** के परामर्श से 18/01/2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के बीच कर सकेंगी।

इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वह सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क कर संदर्भाधीन संपत्ति के स्वत्वधिकार/हक/शुल्क/कर तथा अदायगी योग्य देयताओं के बारे में पूछताछ कर एवं खुद जानकारी लेकर आश्चर्य हो लें। बाद में अधिकरण द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यह नीलामी-बिक्री ऑनलाइन-ई-नीलामी के जरिए <https://drt.auctiontiger.net> वेबसाइट के माध्यम से होगी।

बोली-प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। उक्त डिजिटल हस्ताक्षर हासिल करने तथा बोली प्रक्रिया में सहभागिता हेतु सक्षम होने के लिए इन्टरनेट कनेक्शन युक्त कंप्यूटर टर्मिनल की व्यवस्था करना पूरी तरह से बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र तथा ऑनलाइन बोली की प्रक्रिया के दौरान कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या/मुद्दे को श्री प्रदीप कुमार सिंह की तरफ से बोलीदाता की होगी और इस विषय में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक बोलीदाता आरक्षित मूल्य की 10% राशि (ईएमडी) जमानत के तौर पर जमा कराएगा, जो वसुली अधिकारी, डीआरटी, लखनऊ के पक्ष में लखनऊ पर देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगी। उक्त ड्रामाण्ड ड्राफ्ट तथा विधिवत भरा हुआ ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म स्प्रीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से अथवा दस्ती सुपुर्दगी के जरिए **श्री हिमांशु राजेन्द्र अस्थाना, उप महाप्रबंधक, सिडबी, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001** को हर हाल में 25/01/2016 को 17.00 बजे तक अथवा उससे पहले मिल जानी चाहिए (नीलामी की तारीख : 01/02/2016)।

ईएमडी प्राप्त होने के बाद भावी बोलीदाता को उनके ईमेल पर उपर्युक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए हमारे सेवा प्रदाता ई प्रोक्वोरमेंट टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड(ए बी सी प्रोक्वोर) ए 201/208 वाट स्ट्रीट, II अपोजिट ओरिएण्ट क्लब, नियर गुजरात कालेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात-380006 (भारत) से यूजर आईडी/पासवर्ड मिलेगा जो बोली लगाने के लिए अनिवार्य है। हेल्पलाइन नं. 079-40230821/813/814/815/816/817/818/819/820, फैक्स नं. 079-40016876 श्री रामप्रसाद, मोबाइल नं. +91987996111

बोलीदाता अपनी बोली संपत्ति सं 1 व 2 के लिए रु. 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) के गुणकों में संपत्ति सं 3 के लिए रु. 15000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) के गुणकों में व संपत्ति सं 4 के लिए रु. 20000/- (रुपये बीस हजार मात्र) के गुणकों में बढ़ाएगी।

सफल बोलीदाता घोषित किया गया व्यक्ति अपनी क्रम-राशि की पंजीकृत प्रतिशत (25%) राशि (ईएमडी घटाकर) वसुली अधिकारी, डीआरटी, लखनऊ के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उसी दिन **श्री हिमांशु राजेन्द्र अस्थाना, उप महाप्रबंधक, सिडबी, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001** के पास अथवा आरक्षित मूल्य की 25% राशि (ईएमडी घटाकर) जमा करने की शर्त पर अगले दिन 17.00 बजे तक की विस्तारित अवधि के भीतर तत्काल अदा/जमा करेगा।

सफल बोलीदाता बिक्री की शेष राशि तथा रु. 1000/- तक पर 2% की दर से और रु. 1000/- से अधिक सक्षम राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क नीलामी की तारीख के 15वें दिन से पहले जिसमें 15वें दिन को छोड़कर या अगर 15वां दिन रविवार या अवकाश हो तो 15वें दिन के तत्काल बाद वाले कार्य दिवस को **श्री हिमांशु राजेन्द्र अस्थाना, उप महाप्रबंधक, सिडबी, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001** के पास जमा करनी होगी। उपरोक्त अवधि में भुगतान नहीं करने पर बिक्री की पुष्टि नहीं की जाएगी और संपत्ति को बेचने की नई घोषणा जारी करके संपत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। अगर अधोहस्ताक्षरी को सही लगता है तो बिक्री राशि का खर्च उठाने से संबंधित राशि को जब्त कर सरकार को दे दिया जाएगा तथा चूक कर्ता खरीदार का संपत्ति पर तथा किसी भी पक्ष के प्रति कोई भी दावा नहीं रह जाएगा तथा बाद में संपत्ति को बेच दिया जाएगा।

असफल बोलीदाता को बोली की राशि ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म में दिए गए उनके विकल्प के अनुसार, उक्त फॉर्म में उल्लिखित पते पर स्प्रीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से लौटा दी जाएगी, अथवा यदि डिमाण्ड ड्राफ्ट व्यक्तिगत रूप से जमा किया गया हो तो ई नीलामी ईएमडी फॉर्म के साथ भेजी गई पहचान पत्र की छायाप्रति का मूल पहचान पत्र लाना होगा तथा ईएमडी डिमाण्ड ड्राफ्ट **श्री हिमांशु राजेन्द्र अस्थाना, उप महाप्रबंधक, सिडबी- 15 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001** से प्राप्त करना होगा जिसके लिए वसुली धारक बैंक (CH Bank) उत्तरदायी होगा (for which CH Bank shall be accountable)

ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

उत्तम बोली, वसुली अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी व वसुली अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही माना जाएगा। वसुली अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने या स्थगित करने या बिक्री को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक 29.10.2015 को ब्याज, लागत एवं अन्य शुल्कों सहित वर्तमान बकाया राशि रु 105,68,347/- (रुपए एक करोड़ पाँच लाख अड़सठ हजार तीन सौ सैंतालिस मात्र) है।

वर्तमान मामले की बिक्री की घोषणा का विवरण, निबंधन एवं ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त किया जा सकता है तथा <http://tenders.gov.in> वेबसाइट पर केन्द्र सरकार मंत्रालय/ विभाग, ऋण वसुली अधिकरण (लखनऊ) के अंतर्गत एवं [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) वेबसाइट पर भी देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

इस बिक्री-सूचना को इस मामले में दूसरी पार्टियों, जो कि किसी भी रूप में हितबद्ध हैं, के लिए नोटिस माना जाए।

नवंबर 2015 की तारीख 23 को मेरे द्वारा एवं सील से जारी किया गया।

ह/-

अर्जुन भट्टाचारजी

वसुली अधिकारी

ऋण वसुली अधिकरण, लखनऊ